

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2987
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्यायपालिका में रिक्त पद

2987 डा. वी. शिवादासन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान न्यायिक सेवा में संस्वीकृत पदों की संख्या और संस्थान-वार, वर्ष-वार और सामाजिक श्रेणी-वार वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्ष-वार और सामाजिक श्रेणी-वार संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्याय विकास पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या और कार्यरत पदों की संख्या वर्ष-वार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	उच्चतम न्यायालय		उच्च न्यायालय		जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय	
		स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
1	2021	34	33	1,098	687	24,492	19,328
2	2022	34	28	1,108	769	25,077	19,319
3	2023	34	33	1,114	784	25,345	20,018
4	2024	34	33	1,122	751	25,753	20,694
5	2025	34	33	1,122	818	25,900	21,093
6	2026 (तारीख 04.08.2026 तक)	38	35	1,122	780	30,868	23,558

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 तथा अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या वर्ग के आरक्षण का उपबंध नहीं करता है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के मध्य किसी जाति या वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणी-वार आंकड़े केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों एवं उच्च न्यायालयों पर है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 तथा अनुच्छेद 234 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श कर न्यायिक अधिकारियों की भर्ती एवं नियुक्ति के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं।

प्रक्रिया ज्ञापन (एम.ओ.पी.) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों की पहल का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्तावों की पहल का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। तथापि, सरकार न्यायपालिका में विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से निरंतर अनुरोध किया जाता रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर समुचित विचार किया जाए, ताकि न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके।
